इस नाम का अन्य कोई आदमी गांव में नहीं है। इससे भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम रविन्द्र कुमार है। किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से या भूल से देवेन्द्र दर्ज कर दिया है जो गलत है। वादी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे भी वादी के वाद तक्यों की पुष्ठि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा वादी का वाद डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर ग्राम अमोलक नगर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1072/1188/0.01, 1072/20.27, 1072/6/0.04,1127/1/1.05, 270/3/0.32 कुल किता 5 रकबा 1.69 हैक्टयर व आराजी खसरा नमबर 1072/5/0.02, 965/0.19, 968/0.22 कुल किता 3 रकबा 0.48 हैक्टयर खातेदार देवेन्द्र पुत्र मोतीलाल के स्थान पर रविन्द्र कुमार पुत्र मोतीलाल दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10–02–2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि विजय)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)